न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.144 / 17

दिनांक 22.9.17

सरकार बनाम अमर सिह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 रकबा 61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 075 है0 पर अमर सिह पुत्र बुधराम जाति कांजर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया गैरसायल ने अपने जवाब में कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है बिना सीमाज्ञान के झूठी रिर्पोट पेश की गई है चूकि मेरी स्वंय की खातेदारी भूमि उक्त आराजीयात के लगती हुई है जिसमें बिना सीमाज्ञान के रिपोर्ट पेश की गई जबकि मेरें द्वारा कोई अतिक्रर्मण नही किया गया है। अतः कार्यवाही ड्रॉप करने की इस्तदुआ की है।गैरसायल के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का के मौखिक बयान लिए गये तो पटवारी ने कथन किया की उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जांच व सीमाज्ञान के बाद ही पेश की गई है तथा भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के बाद ही पेश की गई है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल अमर सिह पुत्र बुधराम जाति कजंर निवासी गोपलपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 075 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः अमर सिह पुत्र बुधराम निवासी गोपालपुरा जाति कंजर निवासी गोपलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 075है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1. 50का पचास गुणा 75 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 22.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

17-18 के रा० ले० ०
92 पर 75 25
गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)